दिनांक 10.02.82 में निहित आदेशों का पालन भी ''सार्वजनिक निर्माण विभाग'' द्वारा किया जायेगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पर्वतीय क्षेत्र के सम्बन्ध में यह भी प्रमाण पत्र दिया जायेगा कि अश्व मार्ग बनाना अथवा वन मार्ग का मामूली फेर–बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्चे से पर्याप्त न होगा और सड़क का निर्माण भी आवश्यक है।

12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होगा जो याचक विभाग को मान्य होगा ।

13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वार उत्तर प्रदेश वन निगम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझें द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उनका पातन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों को बाजार भाव मूल्य देय होगा।

14. हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाये, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30 से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन का निषिद्व है। इसी प्रकार बांज (ओक) के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों का निर्णय वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।

15. वन भूमि के उपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथा सम्भव पेड़ों का कटान नही किया जायेगा तथा खम्भों को ऊँचाई करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी। जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।

16. यदि नहर आदि निर्माण में भू–रक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनो पटरियों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक अपने व्यय से स्वंय करायेगा।

17. उपरिलिखित मानक शर्तो के अतिरिक्त यदि भारत सरकार द्वारा अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगायी जाती है तो वे याचक विभाग को मान्य होगी।

18. वन भूमि का वास्तविक स्थानान्तरण तभी किया जाय जब उक्त शर्तो का पूरा–पूरा पालन कर लिया जाय अथवा समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

मै प्रमाणित करता हूँ कि मुझसे/मेरे विभाग से सम्बन्धित उपरोक्त सभी मानक शर्तो से मै सहमत हूँ तथा उपरोक्त शर्तो का अनुपालन करते हुये प्रतिहस्ताक्षरित करता हूँ ।

इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड